



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाला बागपत

दिनांक 30.08.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 509/25 धारा 103(1)/61(2) बीएनएस व धारा 3(2)5 एससीएसटी एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से मृतक का मोबाइल फोन बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.08.25 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी बिट्टू पुत्र प्रेम सिंह निवासी ग्राम फैजपुर निनाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1-सद्वाम पुत्र शौकत, 2.गौरव उर्फ भाईजी पुत्र सतेन्द्र 3.अंकित पुत्र ब्रह्म सिंह, 4.रोहित पुत्र लाल सिंह , 5.राशिद निवासीगण फैजपुर निनाना थाना कोतवाली बागपत व 2-3 अज्ञात



व्यक्तियों द्वारा वादी के भाई आकाश पुत्र प्रेम सिंह को घर से बुलाकर ले गये तथा जंगल में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गयी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 509/25 धारा 103(1)/61(2) बीएनएस व धारा 3(2)5 एससीएसटी एक्ट पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 509/25 धारा 103(1)/61(2) बीएनएस व धारा 3(2)5 एससीएसटी एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से मृतक का मोबाइल फोन बरामद हुआ है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सद्धाम पुत्र शौकत निवासी ग्राम फैजपुर निनाना थाना बागपत उम्र 32 वर्ष।

बरामद का विवरण-

- मृतक का मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी दिनांक समय व स्थान- उपरोक्त अभियुक्त को थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा दिनांक 30-08-2025 को समय 11.50 बजे परशुराम कॉलोनी निवाड़ा मोड़ थाना कोतवाली बागपत क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री देवेन्द्र शर्मा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री तहसीन खान थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3-है0का0 632 विनोद भाटी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 4- का0 81 हरिओम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा दिनांक 30.08.25

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से 01 अवैध तमन्चा .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमन्चा .315 बोर बरामद हुआ है ।

उक्त के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 290/25 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनिम पंजीकृत किया गया है एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

रिजवान पुत्र शहजाद निवासी कस्बा रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण

- 01 अवैध तमन्चा .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री संजय सिंह पूनियाँ थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री सनुज कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 470 अजय कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत
- 4-है0का0 03 मनोज कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर दिनांक 30.08.2025

थाना चांदीनगर पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-गर्वित उर्फ गर्भित पुत्र बृजपाल उर्फ लाला निवासी ग्राम खड्डा प्रहलादपुर थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 2-इन्द्र पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी ग्राम गढी कलंजरी थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री शिवकुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 2.का0 751 शादाब थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 3.उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 4.है0का0 186 इमरान थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना छपरौली

दिनांक 30.08.2025

थाना छपरौली पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा अपराधों को रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता-

प्रमोद पुत्र वीरसैन निवासी टाण्डा थाना छपरौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 अनुज कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 2-का0 594 सरफराज थाना छपरौली जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 30.08.2025

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से 20 पच्चे अवैध देशी शराब उत्तर प्रदेश मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अवैध शराब तरकरों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 20 पच्चे अवैध देशी शराब उत्तर प्रदेश मार्का बरामद हुई है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 554/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया है एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुभाष उर्फ भल्लड़ पुत्र महावीर निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 20 पच्चे अवैध देशी शराब उत्तर प्रदेश मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अनूप कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 2- है0का0 438 कवित कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 3- है0का0 738 अरुण कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बालैनी

दिनांक 30.08.25

थाना बालैनी पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 30 पच्चे अवैध देशी शराब उत्तर प्रदेश मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 30 पच्चे अवैध देशी शराब उत्तर प्रदेश मार्का बरामद हुई है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शंकर पुत्र देशराज निवासी ग्राम दत्तनगर थाना बालैनी बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 30 पच्चे अवैध देशी शराब उत्तर प्रदेश मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ०नि० श्री नन्दकिशोर राजपूत थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 2.है०का० 667 अमर सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 30.08.2025

थाना बिनौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से थाना कोतवाली बागपत क्षेत्र के ग्राम सरूरपुर से चोरी की हुई 01 बैट्री व 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 01 अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार



किया गया है, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से थाना कोतवाली बागपत क्षेत्र के ग्राम सरूरपुर से चोरी की हुई 01 बैट्री व 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 01 अवैध चाकू बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह/शस्त्र का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. गौरव पुत्र भोपाल निवासी ग्राम बिजवाडा थाना बिनौली जनपद बागपत।
2. दीपक पुत्र बिल्लू निवासी ग्राम बिजवाडा थाना बिनौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 01 बैट्री (सम्बन्धित मु०अ०सं० 519/25 धारा 305 बीएनएस थाना कोतवाली बागपत)
- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर।
- 01 अवैध चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री नीलकान्त सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 2- है०का० 481 गुरदीप सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 3- है०का० 440 राशिद खान थाना बिनौली जनपद बागपत।
4. का० 1115 राहुल तिवारी थाना बिनौली जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 30-08-2025

थाना बिनौली पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टा खेलते समय 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 पेन व 01 कॉपी व 325 रुपये नगद बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टा खेलने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जूआ/सट्टे की खाईबाडी करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 पेन व 01 कॉपी व 325 रुपये नगद बरामद हुए हैं ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अंकित पुत्र नरेश निवासी ग्राम जिवाना गुलियान थाना बिनौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 पेन
- 01 कॉपी
- 325 रुपये नगद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री नीलकान्त सिंह थाना बिनौली बागपत ।
- 2- है0का0 648 चोब सिंह थाना बिनौली बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना रमाला

दिनांक – 30.08.2025

थाना रमाला पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी का नाम व पता-

अनुराग तोमर उर्फ अन्नू पुत्र अमरदीप निवासी ग्राम बावली थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री प्रियान्शु थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-है0का0 164 विकास कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।

